कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः 2485 / 12-1:दिनांक देहरादून, 01/6/ ~~मार्च~~, 2024,

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी के (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या **(FP/UK/ROAD/145560/2021)**

सन्दर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक–8बी0द /यू0सी0पी0/06/63/2022/एफ0सी0/1465(ब) दिनांक– 19.02.2024,।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक–8बी0द /यू0सी0पी0/06/ 63/2022/एफ0सी0/1440, दिनांक– 19.02.2024,। के द्वार प्रश्नगत प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी। जिसकी सूचना वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गयी है सूचना निम्नानुसार हैः–

क0सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्ते	बिन्दुवार अनुपालन सूचना
क	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 504 पौधों का रोपण कार्य जाएगा एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवष्यक धनराषि/C.A rate for 0.504 ha Area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–1 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। चालान की प्रति संलग्न है। **संलग्न–1**
ख	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंन्ट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–1(ख) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। **संलग्न–2**
2	शुद्व वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ds WP (C)la[;k 202/1995 esa IAuEcj 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8675 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–2(क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। एवं एन0पी0वी0 की धनराषि कैम्पा कोश में जमा कर दी गई है, चालान की प्रति संलग्न है। **संलग्न–3**
ख	विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के वाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–2(ख) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। 'बचनबद्वता प्रमाण पत्र' संलग्न है। **संलग्न–4**

	शपतपत्र प्रस्तुत करेगा।	
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा। जोकि प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्षों से अधिक नहीं होगी। एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–3 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–5**
4	प्रतिपूरक वनिकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–II मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–4 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–6**
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जायेगा। उक्त अधिसूचना चरण–II/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि बिन्दु सं0–5 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–7**
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नहीं किया जाएगा। इस संबध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–8**
7	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–9**
8	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण–II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–10**
9	यदि राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में चरण–II के अनुमोदन से पूर्व कार्य अनुमति जारी करता है तो उक्त अनुमोदन की प्रति अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। है। एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्न–11)**
11	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–12**
12	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in)पर अपलोड की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग

		द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
1	वन भूमि की विविध परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–13**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–14**
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवष्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–15**
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–16**
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–17**
6	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिष्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–18**
9	केन्द्र सरकार के पूर्वानुममि के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–19**
10	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन

		किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–20**
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–21**
12	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearing अंकित हो।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–22**
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सडक के दोनों ओर Central Verge पर Strip Plantation करेगीं।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–23**
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सडक के किनारे स्पीड रैग्युलेटिंग साइनेज बनाया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–24**
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहां भी लागू हों, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर एवं ओवर पास प्रदान करेंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–25**
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–26**
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–27**
18	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–28**
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–29**
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट सीलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावष्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–30**

	कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–31**
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिषानिर्देषों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–32**
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार, द्वारा अवगतनीय है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अधिरोपित की गई शर्त का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा। प्रमाण पत्र संलग्नक है। **संलग्न–33**

अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनधिकारी, लैन्सडौन वन कोटद्वार, के द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार :–

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2485/ 12–1, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी ।
2.प्रभागीय वनाधिकारी, लैनसडौन वन गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।
3.अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई–सिंचाई खण्ड कोटद्वार (गढ़वाल)

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467 E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.co...

पत्रांकः- 4089 / 12-1 , दिनांक, कोटद्वार, 13/05/

सेवा में

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी के (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145560/2021)

संदर्भः- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड कोटद्वार का पत्रांक 242/वन भूमि दिनांक 23.03.2024 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी0/यू0सी0बी0/06/63/2022/एफ0सी0/1104 दिनांक 19.02.2024. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून का पत्रांक 1885/12-1 दिनांक 29.02.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि जनपद पौडी गढ्वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल वरसूडी के (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत सैधान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नों सहित कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। जो 02 प्रतियों में मूल प्रति सहित आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्र0 सं0	सैधान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्ते	बिन्दुवार अनुपालन आख्या
	प्रतिपूरक वनीकरणः	
	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 504 पौधों का रोपण कार्य जाएगा एवं 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ C.A rate for 0.504 ha Area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	चालान संलग्न है। संलग्न-1
ख	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंन्ट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा। संलग्न-2
2	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
क	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 ; 01.08.2003, 5-2 /2006-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8675 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है एवं एन0पी0वी0 की धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर दी गई है, चालान संलग्न है। संलग्न-3
ख	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपतपत्र प्रस्तुत करेगा।	'वचनबद्धता प्रमाण पत्र' संलग्न है। संलग्न-4
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-5

उ० नि० सा०/प्रभारी पौड़ी
आ० मा० मे०।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून 4991
पंजी0 संख्या 12-1
दिनांक

प्र0 व0 सं0/मि0

	[illegible] [illegible] के लिए पहचानी गई गैर वन/सिविल सोयम भूमि को चरण-II [illegible] से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया [illegible]।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-6
	[illegible] वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर-वन/सिविल भूमि को भारतीय [illegible] अधिनियम, 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिक धारा [illegible] के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जायेगा। उक्त अधिसूचना चरण-II अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-7
	[illegible] क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा विस्तारण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-8
	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्यों के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-9
8	राज्य वन विभाग रेखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहले चरण-II का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-10
9	यदि राज्य वन विभाग रेखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में चरण-II के अनुमोदन से पूर्व कार्य अनुमति जारी करता है तो उक्त अनुमोदन की प्रति अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ0आर0ए0 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न-11)
11	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में सीधांतरितए जमा किए जाएंगे।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-12
12	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
1	वन भूमि की विधिध परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-13
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-14
3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शमिल किए जा सकते है।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-15
4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियाँ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-16
5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहां भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-17
6	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-18
9	केन्द्र सरकार के पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-19
	वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-20

11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-21
12	सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-22
13	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों ओर Central Verge पर Strip Plantation करेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-23
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों में नियमित अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रैग्युलेटिंग साइनेज बनाया जायेगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-24
15	प्रयोक्ता अभिकरण जहां भी लागू हों, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर एवं ओवर पास प्रदान करेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-25
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-26
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	प्रमाण पत्र संलग्नक है।
18	केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-27
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-28
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्तीलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-29
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-30
22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबधित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशों) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-31
23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाई की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्नक है। संलग्न-32

अतः महोदय उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक-4081 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

Tel- [illegible]
Fax- [illegible]
E-mail Id- eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक 242/वनभूमि   दि0 23/03/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार
कोटद्वार

विषय :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूड़ी के (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145560/2021)

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय के पत्रांक 3200/12–1 दिनाँक कोटद्वार 04.03.2024 एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/63/2022/एफ0सी0 दिनाँक 19.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा मोटर मार्ग निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृत प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृत में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

क्रम सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन
1. प्रतिपूरक वनीकरण।		
(क)	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिये 504 पौधो का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @CA rate for 0.504 ha area (वर्तमान वेतन दरो को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहाँ तक व्यावहरिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अंदर पूर्ण किया जाना चाहिए।	दिनाँक 15.03.2024 को ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से जमा करवा दी गयी है। (संलग्न–1)
(ख)	प्रत्यावर्तित किये जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी0 कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमैन्ट क्षेत्र और डबलू0एल0एस0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।	मान्य है।
2. शुद्व वर्तमान मूल्य।		
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002 , 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रॉक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनॉक 18.09.2003, 5–2 /2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम–2023 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.252 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्व वर्तमान मूल्य वसूल करेंगी।	दिनाँक 15.03.2024 को ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से जमा करवा दी गयी है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्व वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रमाण पत्र (संलग्न–2)
3	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्षो से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।	मान्य है।
5	राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिग धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	मान्य है।
6	वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नही किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता अभिकरण वचन पत्र प्रदान करेगी।	प्रमाण पत्र (संलग्न–3)
7	गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	मान्य है।

	वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर ...कता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहल चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नही किया ...ाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।	मान्य है।
	राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में चरण–।। के अनुमोदन से पूर्व कार्य अनुमति जारी करता है तो उक्त अनुमोदन की प्रति अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।	मान्य है।
10	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
11	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध जमा किए जाएंगे।	मान्य है।
12	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।	मान्य है।
(ख) 1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
(ख) 2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
(ख) 3	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।	मान्य है।
(ख) 4	राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।	मान्य है।
(ख) 5	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहॉ भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 6	नवीनतम वन (संरक्षण) नियम 28.06.2022 के अनुसार, पांचवें वर्ष में न्यूनतम कैनोपी घनत्व कम से कम 0.4 होनी चाहिए और परिपक्व वृक्षारोपण (Mature plantation) में वनस्पति घनत्व कम से कम 0.7 होना चाहिए।	मान्य है।
(ख) 7	वन मण्डल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पोधारोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेच्छानुसार नहीं बदलेगें।	मान्य है।
(ख) 8	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	मान्य है।
(ख) 9	केन्द्र सरकार के पूर्वानुममि के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	मान्य है।
(ख) 10	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रेत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 12	सम्बन्धित वन मंण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित हो।	मान्य है।
(ख) 13	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडो के अनुसार सडक के दोनो ओर Central Verge पर Strip plantation करेगी।	प्रमाण पत्र (संलग्न–4)
(ख) 14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 15	प्रयोक्ता अभिकरण जहॉ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।	मान्य है।
(ख) 16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	मान्य है।
(ख) 17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।	मान्य है।

	सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी ... ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	मान्य है।
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।	मान्य है।
(ख) 20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिश्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनजीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलये को यथा स्थान हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्वख इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तरण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नही होगी।	मान्य है।
(ख) 21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	मान्य है।
(ख) 22	प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से सम्बन्धित सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशो, माननीय न्यायालय आदेश (आदेशो) एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के आदेश (आदेशों) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हों।	मान्य है।
(ख) 23	उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।	मान्य है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

पंत्राक ..../ वनभूमि
दि0....................

निम्नलिखित को अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–1. अपर प्रमुख वनसरंक्षण एवं नोडल अधिकारी वनसरंक्षण इन्दिरा नगर फोरेस्ट कालोनी।

प्रतिलिपिः–2. जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– 3. अधीक्षण अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत लो0नि0वि0 श्रीनगर गढवाल।

प्रतिलिपिः– 4. सहायक अभियन्ता षष्ठम पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड कोटद्वार।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0– सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढवाल)

26/3/24

D/MAN
अ0 जी0 ...
प्र0व0अ0
C.A.02

प्राप्ति सं0 ...4196........
पत्रावली ...12-1.........
दिनांक ...26/03/2024.

संलग्न-5

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 है0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में एन0पी0वी0 के शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई दर जमा की जायेगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न-5

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं जोकि प्रस्ताव के अनुसार 24 वृक्षो से अधिक नही होगी एवं पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल से सत्यापित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न 6

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रतिपूरक वनीकरण जुटाने के लिए पहचानी गई गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को चरण–।। मंजूरी जारी करने से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और परिवर्तित किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

प्रमाण पत्र

संलग्न 7

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तातरित एवं नामांतरित गैर–वन/सिविल सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत या स्थानीय वन अधिनियम, 1927 की प्रासंगिम धारा (ओ) के तहत आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। उक्त अधिसूचना चरण–।।/अंतिम अनुमोदन की अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न:- 8

बचनवद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार मलवा निस्तारण नही किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल मे अग्रसारित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडोन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न 1

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में गाइडलाइन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी की इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समााप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न :- 10

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहल चरण–।। का अनुमोदन प्राप्त नही किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न:-10

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य वन विभाग रैखिक (लिनियर) परियोजना के मामले में एक वर्ष हेतु कार्य अनुमति जारी कर सकता है। यदि कार्य की अनुमति की समाप्ति से पहल चरण-।। का अनुमोदन प्राप्त नही किया जाता है, तो राज्य वन विभाग काम रोक देगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न :- 11

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

सलग्न: 193

https://forestsclearance.nic.in/useraccount/Payment_history.aspx

PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾ 4:55:44 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/145560/2021 Dwarikhal Barsun Motor Marg (KM 0.00 TO KM 0.500)	ROAD1455602021451	61145560451	19 Feb 2024	CA: 226190.66/- , PCA: 0/- , Safety Zone: 0/- , NPV: 325798.2/- , Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 551988.86/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :12 Mar 2024 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :12 Mar 2024 Transaction Date :15 Mar 2024	Demand Letter Generated Challan

सलग्न : 12

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरितध जमा किए जाएंगे।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न:- 13

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

सलग्न 15

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

ALL LETTER 7

सैलग्न:-15

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक विकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते है।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र स्थल से अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न 16

प्रमाण पत्र

- प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में राज्य वन विभाग द्वारा कार्य की अनुमति देने से पूर्व प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की टिप्पणियॉ प्राप्त करेगी, यदि लागू हो।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी०एम०जी०एस०वाई०)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न :- 17

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक/राज्य वन्यजीव बोर्ड/राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सभी शर्त, जहाँ भी लागू हो, का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रसारित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैंन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

सलग्न 18

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न :- 19

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में केन्द्र सरकार के पूर्वानुममि के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमा0 पत्र मूल में अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

सलग्न: 20

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर श्रमिक शिवीर स्थापित नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमा० पत्र मूल में अग्रसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

सलग्न : 21

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूलमें अग्रेलित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न : 22

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward Bearings अंकित होगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमा० पत्र मूल में अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न-23

बचनवद्वता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत में द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.252 है0 सिविल वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण में सडक निर्माण के पश्चात् जहॉ जहॉ सम्भव होगा के दोनो किनारो तथा Central Verge पर Strip Plantation की जायेगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल मे अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

ALL LETTER 7

सलग्न: 24

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सडक के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रप्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न : 25

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयोक्ता अभिकरण जहॉ भी लागू हो, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमा० पत्र मूल में अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न :- 26

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल मे अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिदिष्टी प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण। पत्र मूल में अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

संलग्न: 27

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में केन्द्र सरकार की पूर्णानुमति के बिना प्रत्यावर्तन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेन्सीयों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमा0 पत्र मूल में अग्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैंन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जाएगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

प्रमाण पत्र

संलग्न 28

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागु होगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

ALL LETTER 7

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्र[illegible]ाम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निम[illegible] कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे[illegible] आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी लेना [illegible]कार/प्रयोक्ता ऐजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)

प्रमाण पत्र

संलग्न :- 32

..माणित किया जाता है कि जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं एफ0सी0ए0 नियम 2023 के अंर्तगत निर्धारित कार्यवाही की जाएगी।

सहायक अभियन्ता, षष्ठम्
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड (पी0एम0जी0एस0वाई0)
कोटद्वार (पौडी गढवाल)

प्रमाण पत्र मूल में अग्रेसित

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढवाल)